निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 583) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

18 अप्रील 2016

सं0 22/नि0सि0(दर0)–16–11/2009/659—श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं हेतु विभागीय पत्रांक 417 दिनांक 10.03.10 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व आरोप को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक 987 दिनांक 09.08.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17 के तहत आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' गठित करते हुए श्री राम के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आरोप पत्र प्रपत्र–''क'' के अनुसार आरोपः–

'' एम0 जे0 सी0 सं0 3276/07 गौरी शंकर यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में आप प्रतिवादी सं0 5 थे। अवमाननाबाद में विभागीय अनुमोदन हेतु तथ्य कथन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से स्मार दिया गया परन्तु आपके द्वारा विभाग को लम्बे अन्तराल के बाद भी कथ्य कथन नहीं उपलब्ध कराया गया जिसके कारण विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में अवननावाद कार्रवाई में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इस प्रकार आप अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष के रूप में अंकित किया गया कि श्री राम पर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप परिलक्षित नहीं होता है परन्तु उक्त कार्य के निष्पादन में उनके द्वारा अपेक्षाकृत ज्यादा समय लिया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम द्वारा विषय की गंभीरता के मद्देनजर तथ्य कथन के समर्पण में स्पष्ट रूप से विलम्ब परिलक्षित होता है जो कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य कि बाढ़ एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यो में व्यस्त रहने के कारण तथ्य कथन संशोधन में विलम्ब हुआ, मान्य नहीं किया जा सकता।

संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि कार्य के निष्पादन में श्री राम द्वारा ज्यादा समय लिया गया।

प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 1413 दिनांक 22.06.15 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1847 दिनांक 19.08.2015, पत्रांक 2365 दिनांक 13.10.15 एवं पत्रांक 46 दिनांक 08.01.16 द्वारा श्री राम को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया। किन्तु श्री राम द्वारा जवाब समर्पित नहीं किया गया।

मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम के विरूद्ध ''एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा को निम्न दण्ड दिया जाता है।

''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''

उक्त दण्ड श्री राम को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 583-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in